झारखण्ड जैव विविधता पर्षद्

(झारखण्ड सरकार की स्वायत्तशासी एवं वैद्यानिक निकाय)

ब्लॉक–डी, वन भवन परिसर, डोरण्डा, राँची – 834 002

Advt. No. 02/2017-18 **Dt: 07.05.2017**

इच्छा की अभिव्यक्ति

भारत सरकार द्वारा जैव विविधता के संवहनीय उपयोग एवं सतत् विकास तथा जैव संपदा से व्युत्पन्न लाभाशों के समुचित बंटवारा हेतु जैव विविधता अधिनियम 2002 एवं नियम 2004 अधिसूचित किया गया है जिससे देश के जैव संसाधनों का संचालन, उचित दोहन, सतत् विकास तथा संरक्षण किया जा सके। जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत **केन्द्रीय स्तर** पर **राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण** का गठन किया गया है जिसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। अधिनियम 2002 की धारा–22 के अंतर्गत **झारखण्ड सरकार** द्वारा राज्य में **झारखण्ड जैव विविधता पर्षद्** का गठन वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या– वन्यप्राणी–03/05(खण्ड)–6550; दिनांक–20.12.2007 के तहत् किया गया है।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 41 एवं झारखण्ड जैविकीय विविधता नियमावली, 2007 के नियम–20 के अंतर्गत राज्य की प्रत्येक स्थानीय निकाय के लिए "जैव विविधता प्रबंधन समिति" का गठन किया जाना है और तत्पश्चात् उक्त जैव विविधता प्रबंधन समिति को उनकी पंचायत के लिए "जन जैव विविधता पंजी" का संधारण करना है।

झारखण्ड जैव विविधता पर्षद् द्वारा प्रथम चक्र में राँची, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, प० सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला–खरसांवा, हजारीबाग एवं लातेहार जिलों में कुल 569 जैव विविधता प्रबंधन समितियों (ग्राम पंचायत स्तरीय–566 एवं प्रखण्ड स्तरीय–03) का गठन किया गया है एवं शेष स्थानीय निकायों में गठन प्रस्तावित है।

द्वितीय चक्र में झारखण्ड राज्य के सभी जिलों के लिए जिलावार जैव विविधता से संबंधित शैक्षणिक संस्थान/शोध संस्थान/गैर सरकारी संस्थाओं से जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन एवं जन जैव विविधता पंजी के निर्माण हेतु आवेदन आमंत्रित करती है। इच्छुक संस्थाएं जैव विविधता प्रबंधन समिति के गठन या/एवं जन जैव विविधता पंजी निर्माण के लिए अलग–अलग (Separate) प्रस्ताव समर्पित करेंगे।

चयनित संस्थान/संस्थाओं से निम्नलिखित कार्य अपेक्षित होंगे–

1. प्रत्येक स्थानीय निकाय (पंचायत/नगर निकाय) में आम सभा के माध्यम से ग्रामीणों को जैव विविधता एवं जैव विविधता अधिनियम की जानकारी देना।

2. आम सभा में ग्रामीणों को झारखण्ड जैव विविधता पर्षद् के बारे में जानकारी देना।
3. स्थानीय निकाय स्तर पर मुखिया/प्रखण्ड प्रमुख/जिला परिषद अध्यक्ष/महापौर से "जैव विविधता प्रबंधन समिति" के गठन हेतु समन्वय कर प्रस्ताव प्राप्त करना।
4. झारखण्ड जैव विविधता पर्षद् को समिति गठन हेतु प्रस्ताव की मूल प्रति के साथ गठन से संबंधित सभा का फोटोग्राफ, विडियोग्राफ, चयनित सदस्यों का समूह फोटोग्राफ इत्यादि उपलब्ध कराना।
5. जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन एवं पूर्व गठित समितियों का सक्रिय करना।
6. "जैव विविधता प्रबंधन समिति" का संबंधित स्थानीय निकाय के निकटतम राष्ट्रीयकृत/सरकारी बैंक में बचत खाता खुलवाने में सहायता करना।
7. "जैव विविधता प्रबंधन समिति" को उनके दायित्वों एवं अधिकारों के बारे में जानकारी देना।
8. जैव विविधता प्रबंधन समिति की सहायता से "जन जैव विविधता पंजी" का निर्माण करना।
9. जन जैव विविधता पंजी के निर्माण के पश्चात् पर्षद् द्वारा गठित तकनीकी सहायता समूह से इसे अनुमोदित कराने के उपरांत संबंधित ग्राम सभा से पारित कराना।
10. अनुमोदित जन जैव विविधता पंजी का तीन प्रतियों में प्रकाशन करना।
11. तकनीकी सहायता समूह एवं नोडल पदाधिकारी से समन्वय।
12. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई के दिशा–निर्देशानुसार जैव विविधता बहुल स्थल को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने की विभिन्न प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन।
13. पर्षद् द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों/आदेशों का पालन करना।
14. पर्षद् को निर्धारित समय पर वांछित प्रतिवेदन/सूचना उपलब्ध कराना।

<u>नियम एवं शर्तें</u>

जैव विविधता के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले इच्छुक संस्थान/संस्था विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित कर सकते हैं। आवेदन के साथ संस्थाओं को निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज भी समर्पित करनी होगीः

1. संस्था के पंजीकरण दस्तावेज की छायाप्रति।
2. जैव विविधता से संबंधित कार्य करने का विगत अनुभव का संक्षिप्त विवरण।
3. संचालक एवं अन्य कार्यकर्ताओं का संक्षिप्त विवरण।

4. संस्था का वर्ष 2016–17 का लेखा जोखा।

5. संस्था का वर्ष 2015–16 का ऑडिट रिपोर्ट की प्रति।

6. Photo ID & Address Proof की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति।

7. आवेदक का पत्राचार पता, दूरभाष नम्बर तथा ई–मेल पता।

8. चयनित संस्था का कार्य असंतोषजनक होने पर किसी भी समय अनुबंध निरस्त किया जा सकता है एवं नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है।

9. कार्य आबंटन से पूर्व पर्षद् द्वारा विस्तृत नियम एवं शर्तों की जानकारी दी जायेगी।

इच्छुक संस्थाएं अपना आवदेन विहित प्रपत्र में वांछित अनुलग्नकों के साथ निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से निम्नलिखित पते पर दिनांक 30.05.2017 तक भेज सकते हैं।

पर्षद् किसी भी समय प्रकाशित इच्छा की अभिव्यक्ति बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

<u>आवेदन भेजने का पता</u>

सदस्य सचिव
झारखण्ड जैव विविधता पर्षद्,
ब्लॉक–डी, वन भवन परिसर,
डोरण्डा, राँची– 834002

ह०/–
(दिनेश कुमार, भा०व०से०)
सदस्य सचिव